आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमण्डल, छपरा

बी०एल०डी०आर० अपील वाद संख्या–83/2022

1. जलील देवान, पिता–स्व0 महबूब देवान।

बनाम

1. अमरूल्लाह देवान, पिता–स्व0 महबूब देवान।
2. मोबारक देवान, पिता–स्व0 सलीम देवान।
3. इसराफिल देवान, पिता–स्व0 सलीम देवान।
4. रूस्तम देवान, पिता–स्व0 सलीम देवान।
5. रियासत देवान, पिता–स्व0 सलीम देवान।
6. लेयाकत देवान, पिता–स्व0 सलीम देवान।
7. शाह आलम देवान, पिता–स्व0 सलीम देवान।
8. नूर आलम देवान, पिता–स्व0 सलीम देवान।

उपस्थिति / प्रतिनिधित्व

अपीलकर्त्ता की तरफ से :– विद्वान अधिवक्ता, उदय कुमार सिंह एवं पवन कुमार।

प्रतिवादीगण के तरफ से :– विद्वान अधिवक्ता, अनुपस्थित, सिर्फ सुलहनामा प्राप्त।

आदेश

अनुसूची 14–फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
22.10.2024 **06.11.2024**	**प्रस्तुत अपीलवाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, हथुआ, गोपालगंज द्वारा भूमि विवाद वाद सं०–01 / 2022–23 में दिनांक–27.05.2022** को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलकर्त्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दायर किया गया है। विवादित भूमि मौजा–सिधवनिया, थाना–कटेया, जिला–गोपालगंज अन्तर्गत खाता सं०–98, खेसरा सं०–284 अन्तर्गत रकबा–03 डिसमील है। **अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का लिखित पक्ष है कि** अपीलकर्त्ता के पिता–स्व० महबूब देवान द्वारा जमींदारी उन्मूलन के पूर्व से भूतपूर्व जमींदार गुरूदेव आश्रम प्रसाद शाही को नजराना देते हुए अपने पुत्र अमरूल्लाह देवान के नाम से बंदोबस्त कराया गया, जिसके आधार पर अमरूल्लाह देवान, पिता–स्व० महबूब देवान के नाम से जमाबंदी सं०–264 कायम हुआ। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि पर स्व० महबूब देवान एवं उनके तीन पुत्रों जलील देवान (प्रस्तुत वाद में अपीलकर्त्ता), सलीम देवान एवं अमरूल्लाह	

WEB COPY NOT OFFICIAL

देवान (प्रस्तुत वाद में विपक्षी सं०–01) का संयुक्त दखल–कब्जा रहा है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार तीनों भाई के बीच मौखिक समझौते के अनुसार प्रत्येक को 1/3 का हिस्सा प्राप्त है, परन्तु जमाबंदी सं०–264 केवल अमरूल्लाह देवान के नाम से चलने के कारण अपीलकर्त्ता को **Rent** के भुगतान करने में समस्या आ रही है, जिसके कारण अपीलकर्त्ता द्वारा जमाबंदी में **Partition** हेतु निम्न न्यायालय के समक्ष आवेदन दिया गया था, परन्तु उक्त पर विचार नही करते हुए उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

विपक्षीगण को नोटिस का तामिला कराते हुए तामिला प्रतिवेदन प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा के पत्रांक–2452/विधि, दिनांक–22.09.2022 द्वारा उपलब्ध कराने का साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है। इस क्रम में PR No-009123 (LAW) 2024-25 द्वारा भी समाचार पत्र में प्रकाशन कराते हुए सभी पक्षकारों को वाद की सुनवाई में उपस्थित होने हेतु सूचना निर्गत किया जा चुका है तथा आयुक्त न्यायालय के दैनिक कॉज लिस्ट एवं बार एसोसिएशन के माध्यम से भी सुनवाई की सूचना सभी संबंधितों को दी गयी है। इसके पश्चात् भी उभय पक्ष सुनवाई में अनुपस्थित रहें है।

अभिलेख के अवलोकन में पाया गया कि अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक–23.06.2023 को इस आशय का सुलहनामा प्रस्तुत किया गया है कि उभय पक्ष के बीच इस आशय का समझौता हो गया है कि ''तकरारी भूमि, मौजा–सिधवनिया, थाना+अंचल–कटेया, जिला–गोपालगंज में अवस्थित भूमि खाता सं०–98, खेसरा सं०–284, रकबा–03 डी० अर्थात 15 ½ धूर तकरारी रकबा में से उत्तर सड़क की ओर 14 धूर भूमि अपीलकर्त्तागण को रहेगा, जिसकी चौहद्दी उ०–सड़क, द०–हसनैन देवान वो मैनुल्लाह देवान वो म० आबीद अली, पू०–निज अर्थात अमरूल्लाह देवान, प०–निज अमरूल्लाह है। उपरोक्त चौहद्दी के अंदर की 14 धूर जमीन से प्रतिउत्तरवादी अमरूल्लाह देवान वगैरह को अब कोई मतलब वो सरोकार नहीं रहेगा।''

वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि खाता सं०–98, खेसरा सं०–284, रकबा–07 डी० तथा खेसरा सं०–287, रकबा–02 डी०

WEB COPY NOT OFFICIAL

गैरमजरूआ मालिक भूमि है, जिसे हथुआ राज द्वारा भू–दान यज्ञ समिति को दिया गया एवं भू–दान यज्ञ समिति द्वारा दिनांक–30.06.1976 को विपक्षी सं०–01 अमरूल्लाह देवान, पिता–स्व० महबूब देवान को प्रमाण–पत्र दिया गया है। उल्लेखनीय है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–970 (7)/रा०, दिनांक–23.08.2016 के कंडिका–4 में **जमींदारी उन्मूलन के पश्चात भूतपूर्व जमींदार द्वारा गैर मजरूआ मालिक भूमि का दान दिया जाना** के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि– *'जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् यदि किसी भूतपूर्व जमींदार के द्वारा गैर मजरूआ खास जमीन भूदान यज्ञ समिति अथवा विनोवा भावे को दान स्वरूप दिया गया है तो ऐसे दान पत्रों की वैधानिक मान्यता नहीं होगी, क्योंकि जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् खास भूमि सरकार में ही निहित हो चुका है।*

अतः ऐसी गैरमजरूआ खास जमीन, जो जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् भूतपूर्व जमींदारों द्वारा दान स्वरूप दी गयी हो एवं जिसे तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा संपुष्ट किया गया है उसे भी वैधानिक नहीं माना जा सकता है।

क्योंकि उक्त जमीन का स्वामित्व भूतपूर्व जमींदार को प्राप्त नहीं था एवं तदनुसार उसकी बंदोबस्ती करना अवैध कार्रवाई की श्रेंणी में आयेगा एवं उनके द्वारा की गयी बंदोबस्ती अवैध माना जाएगा।''

उपर्युक्त विभागीय प्रावधानों एवं अभिलेख में संलग्न साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि गैर मजरूआ मालिक भूमि को भूदान–समिति द्वारा बंदोबस्त किया जाना उचित नही है। प्रश्नगत भूमि का भूतपूर्व जमींदार द्वारा कब भूदान समिति को दान किया गया है, इसका भी साक्ष्य संलग्न नहीं है। भूतपूर्व जमींदार के द्वारा प्रश्नगत भूमि का रिर्टन बिहार भूमि सुधार अधिनियम–1950 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है अथवा नही इसका भी साक्ष्य अभिलेख में रक्षित नहीं है। उक्त तथ्यों के आलोक में यह सुलहनामा मात्र दिखावे का प्रतीत होता है एवं वादी एवं प्रतिवादी द्वारा सरकारी भूमि को हड़पने का कुत्सित प्रयास प्रतीत होता है।

अतः उक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत वाद, भूमि सुधार

WEB COPY NOT OFFICIAL

उप समाहर्त्ता, हथुआ को इस निर्देश के साथ वापस भेजा जाता है कि वे प्रश्नगत भूमि के हस्तांतरण की जॉच करेंगे कि किस परिस्थिति में गैर मजरूआ मालिक भूमि को भूदान समिति को दान दिया गया एवं भूदान समिति द्वारा प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है भी कि नहीं, क्योंकि यहाँ कार्यालय अभिलेख से मिलान का उल्लेख भी नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारी भूमि को हड़पने का नायाब तरीका (Modes operandi) अपनाकर वाद के उभय पक्षो द्वारा सुलहनामा दायर किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है एवं इसे **अस्वीकृत** किया जाता है तथा निदेश दिया जाता है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, हथुआ, गोपालगंज संपूर्ण तथ्यों की जांचोपरांत नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। यदि प्रश्नगत भूमि सरकारी पाई जाती है, तो नियमानुसार विहित प्रक्रिया से अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करेंगें एवं प्रतिवेदन समाहर्त्ता तथा अपर समाहर्त्ता को देंगे। अपर समाहर्त्ता अपने अधीन सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं को प्रशिक्षण दें एवं भविष्य में आदेश पारित करने के पूर्व प्रासंगिक अधिनियमो/नियमो का अध्ययन कर मुखर आदेश पारित करें।

उक्त निदेश के साथ वाद की सुनवाई समाप्त की जाती है।

आई०टी० सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त आयुक्त।

ज्ञापांक...../ छपरा, दिनांक...../

प्रतिलिपिः–समाहर्त्ता, सारण, सीवान एवं गोपालगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

आयुक्त के सचिव,
सारण प्रमंडल, छपरा।

WEB COPY NOT OFFICIAL